तारीख :

24.11.20 पत्रावली पर निरस्त तामील पर आज पेशी पर ली गई। वकील गाड़ी को सुना गया। प्रा० पत्र निरस्त तामील स्वीकार किया जाता है। पत्रावली को ता० पेशी 25.11.20 नियत की जाती है।

25.11.20

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. का कार्य में व्यस्त, दौरे पर होने से जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 26.11.20 को पेश हो।

26.11.20 पत्रावली पेश। वकील गाड़ी उपस्थित। वकील प्रतिवादी बावजूद सूचना अनुपस्थित। पत्रावली में प्राथमिक डिक्री पूर्व आवी दी जा चुकी है।

पत्रावली प्रा० पत्र व Rule 7 व Rule 13 PD आवी होने के पश्चात् पेश किये गये हैं और सारहीन होने के कारण अस्वीकार किये जाते हैं। पत्रावली कक्ष कुरेजात में नियत की जाते है। पत्रावली को सुना गया। पत्रावली गत वकील वादी को सुना गया। कक्ष का मनन किया गया।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाता है। विवादित भूमि ख० नं० 74 रकबा 0.75 व खसरा नं० 69 रकबा 0.19 वाके ग्राम सिकन्दरा में तहसीलदार सिकराय, उप तहसील सिकन्दरा के पत्रांक / भू.अ. / 2020 दिनांक 30.11.2020 द्वारा किये गये कुरेजात 632 को स्वीकार किये जाते हैं। आवश्यक कुरेजात तत्सम्बन्धी के अनुसार तहसीलदार सिकराय को दिये जाते हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय में खुला न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से दर्ज रजिस्टर दाखिल हो तदनुसार डिक्री आवी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Singh Godara
Date: 2021.01.06 13:44:07 IST
Reason: SelfAttested

26.11.20
उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला-दौसा

Scanned with CamScanner